

(c) Mobile No.:

Land Line No. (along with STD Code)

(d) Email-Id:

3(a) Local Guardian's Name Mr/Ms.:

(b) Address:

 PIN Code

(c) Mobile No.:

Land Line No.: (along with STD Code)

(d) Email-Id:

4(a) Details of Fees: Cross (X) the appropriate box only. Attach Xerox copy of fee receipt/draft.

Challan Draft (Draft should be in favour of Director MITS, Payble at Gwalior)

(b) Challan/Draft No. : Date:

Amount (Rs.)

Name of the issuing Bank & branch in case of Demand Draft _____

DECLARATION

I hereby declare that the information given above is correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information found incorrect or misleading my admission will be liable to be cancelled by the University/Institute at any time. I understand that my registration for the said class/course is purely provisional subject to eligibility norms of university/Institute. I will attend my classes regularly (as per academic calendar of the institute) and in case I don't comply with the attendance requirement of RGPV norms (minimum 75%), I may be debarred from appearing in the mid semester and/ or end semester examinations. Further, I will not indulge myself in ragging or any other act of indiscipline. If I am found involved in any such act of indiscipline, suitable disciplinary action may be taken against me which may even lead to my expulsion from the institute.

Further, I declare that in case of any change in my address, cell number/parent address, cell number. I will inform to the co-ordinator/Director immediately in writing.

Signature of Candidate :

My ward will abide the rules & regulation of the institute

Signature of the Parent :
Name :
Cell No. :

Date:

TO BE NOTARIZED ON Rs. 50/- NON JUDICIAL STAMP

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण-पत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं.....पुत्र/पुत्री
श्री/श्रीमती.....ने
रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से संबंधित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है, समझा लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं ?
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिये किसी को उकसाता/उकसाती हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता/लेती हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चय पूर्वक यह प्रयत्न करूंगा/करूंगी कि—
(क) मैं किसी की रैगिंग, जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है, उसमें भाग नहीं लूंगा/लूंगी।
(ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा/लूंगी जो कि रैगिंग की धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूंगा/लूंगी अथा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूंगा/करूंगी।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं, रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

स्थान.....दिन.....महिना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

शपथ-पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात पाया गया कि शपथ-पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई गलत तथ्य नहीं है। शपथ-पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित.....स्थान.....दिन.....महिना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ-पत्र में दिये गये तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किये।

शपथ-आयुक्त

TO BE NOTARIZED ON Rs. 50/- NON JUDICIAL STAMP

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में
प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं के पिता/माता द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं, पिता या माता.....विद्यार्थी का नाम.....

.....वर्ष 2015-16 में माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ग्वालियर संस्था की विवरण पत्रिका में समाविष्ट म. प्रविश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश के नियम 12 एवं 13 आचरण संहिता के निम्नांकित प्रावधान से पूर्णतः भिन्न हूँ।

1. कि छात्र संस्था में सदैव अच्छा व्यवहार करेगा, परिश्रमपूर्वक अध्ययन करेगा, शिष्टाचार तथा गरिमा बनाये रखेगा, सह पाठ्यचारी कार्यकलापों में समुचित रूप से भाग लेगा और संस्था के अनुशासन संबंधी नियमों का पालन करेगा।
2. विद्यार्थी के संस्थान के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन भंग करने का दोषी पाये जाने पर या दुराचरण का दोषी पाये जाने पर प्राचार्य अपराध के स्वरूप तथा गंभीरता के अनुसार आचरण संहिता में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार
 - (क) विद्यार्थी को एक सप्ताह अवधि के लिये कक्षा में भाग लेने से निलंबित कर सकेंगे, या
 - (ख) विद्यार्थी को संस्था से निकाल (एक्सपेल) सकेंगे, या
 - (ग) विद्यार्थी को अगली परीक्षा में भाग लेने से अनर्हत घोषित कर सकेंगे या
 - (घ) विद्यार्थी को निष्कासित (रेस्टीकेट) कर सकेंगे।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि विद्यार्थी ऐसी कोई गतिविधियाँ और संस्था के स्वच्छ वातावरण या अनुशासन को दूषित करें या संस्था में पाठन की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करें, मैं भाग नहीं लेगा।
4. मैं स्वीकार करता हूँ कि विद्यार्थी के संस्था में प्रवेशित रहने की अवधि में किसी भी समय, किसी भी कारण, संस्था प्राचार्य द्वारा बुलाये जाने पर जिसकी सूचना मुझे छात्र के माध्यम से या सीधे प्राप्त होगी, मैं निर्दिष्ट अवधि में प्राचार्य के सम्मुख उपस्थित होऊंगा तथा ऐसा न करने पर प्राचार्य को केवल इस आधार पर कि मैं उनके समक्ष निश्चित अवधि में उपस्थित नहीं हुआ, यह अधिकार होगा कि वे विद्यार्थी को निलंबित कर सकें या उनका प्रवेश निरस्त कर सकें।
5. मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि अध्ययनकाल में छात्र के एक संस्था से दूसरी संस्था में योग्यता व अन्य कारणों से प्रवेश या स्थानांतरण की स्थिति में यह वचनपत्र पूर्व की संस्था द्वारा स्थानांतरण की संस्था को भेजा जा सकेगा या दूसरी संस्था में इसी वचन पत्र की शर्तें बंधनकारक रहेंगी।

'जो लागू न हो उसे काट दें।

पिता/माता के हस्ताक्षर जो संस्था में
सक्षम अधिकारी के समक्ष करना है।

स्थान :

दिनांक :

पूरा नाम :

स्थाई पता :

टीप : पिता या माता के जीवित न होने पर ही अभिभावक के हस्ताक्षर मान्य होंगे, जिसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।